तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	... उपस्थित सशिक आदेश दिनांक 11/1/18 की पालना में पक्षकारान ... [illegible] ... हो। दिनांक 9/1/18 ... उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
9/1/18	... उपस्थित सशिक आदेश दिनांक 9/1/18 की पालना में पक्षकारों वास्ते ... तनकीयात दिनांक 18/3/18 को पेश हो। [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
20/3/18	18/3 को अवकाश होने से [illegible] ... पेश हुई। ... [illegible] स्थगित कर रखा है। P.O. साहब ... है। पत्रावली दिनांक 4.4.18 को पेश हो। रीडर
	4.4.18 अनुपस्थित ... P.O. साहब ... [illegible] पत्रावली दिनांक 20/6/18 को पेश हो।
21/5/18	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में ... पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में ... डीगोली पर दिनांक 1/6/18 को ... हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
1/6/18 [illegible] [illegible]	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। ... उपस्थित ... [illegible] ... तहसील ... [illegible] ... नहीं चाहते। ... पत्रावली का अवलोकन किया गया। ... [illegible] ... डिक्री किया जाता है। [illegible] ... पत्रावली फैसल शुमार होकर ... [illegible] SDO कठूमर

अहद की

ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

ीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/102/2013

वउनवान

प्रकाशचन्द पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी नगलासीताराम तहसील कठूमर

—— वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण
2. कमलेश पुत्री प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण
3. पार्वती पत्नी प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण तहसील कठूमर जिला अलवर
4. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर
5. सोन्या पुत्र नामालुम जाति मीना निवासी नूनियां

—— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

एंव

राजस्व वाद संख्या 1/68/18

वउनवान

1. प्रकाशचन्द पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी नगलासीताराम

—— वादी

बनाम

1. अशोक पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी नगलासीताराम

—— प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

सिंह राठी – अधिवक्ता वादी प्रकाशचन्द
श्याम शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी अशोंक

निर्णय दिनांक 01.06.2018

वादी प्रकाशचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सं0 1/102 सन् 2013 के संक्षिप्त तथ्य प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 437 रकवा 0.33 हे. 438 रकवा 0.20 हे. 445 वा 0.46 हे. वाक ग्राम अर्रुवा व खसरा नम्बर 17 रकवा 0.34 हे. 57 रकवा 0.47 58 रकवा 0.16 हे. ग्राम नगलासीताराम तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त वादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है जिस पर दी एंव प्रतिवादीगण शामलात में काविज रहकर काश्त करते है। विवादित आराजी वट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी में अपाने हिस्सा की आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण जबर्दस्त व्यक्ति है जो वादी को विवादित आराजी में शामलात में कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः विवादित आराजी का वादी के हिस्सेनुसार कानूनी तकासमा कर दिया जावे व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक तामील से तलव किया गया। दिनांक 11.01.2016 को प्रतिवादी सं0 2 से 5 वावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील से उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर होकर अपना जवाव दावा पेश किया लेकिन दिनांक 01.06.2018 को वादी व प्रतिवादी सं01 ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 17 रकवा 0.34 हे. 57 रकवा 0.47 हे. 58 रकवा 0.16 हे. वाके ग्राम नगलासीताराम में वादी प्रकाश एंव प्रतिवादी संख्या 1 अशोक का 1/2–1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 16 रकवा 0.21 हे. वाके नगलासीताराम वादी प्रकाश एंव प्रतिवादी सं0 1 अशोक का 1/6–1/6 हिस्सा रहेगा तथा खसरा नम्बर 437 रकवा 0.33

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

रकवा 0.20 हे. 445 रकवा 0.46 हे. वाके ग्राम अर्रुवा वादी प्रकाश व प्रतिवादी अशोक का 1/2–1/2 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार हम उक्त आराजी पर काविज काश्त कर रहे है। उक्तानुसार दावा वादी डिकी कर दिया जावे। राजीनामा रान तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 6 रूल जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद में तकसीम के साथ हक की णा की रिलीफ सहवन से लिखने से रह गई है। दावा के निर्णय के लिये हक की णा की रिलीफ दावा हाजा में जोडा जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। वादी के र्थना पत्र को सुना गया। प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई एतराज हीं है। अतः प्रार्थना पत्र वादी आर्डर 6 रूल 17 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम नगलासीताराम व ग्राम अर्रुवा व हक त्याग किता 2 की छाया प्रति पेश की है।

वादी प्रकाशचंन्द द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 1/68/18 वाद घोषणात्मक वो हुकमइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 16 रकवा 0.21 हे. ग्राम नगलासीताराम तहसील कठूमर में स्थित है।वादी प्रतिवादी व मां पार्वती व वहन कमलेश का उपरोक्त विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा मृतक पति एंव पिता प्यारेलाल से विरासत में प्राप्त हुआ है। जिसमें मां पार्वती ने अपने हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड हक त्याग प्रतिवादी अशोक के हक में करा दिया जिसका इन्तकाल दर्ज हो चुका है तथा व कमलेश ने अपने हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड हक त्याग प्रतिवादी अशोक के हक में करा दिया जिसका इन्तकाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार विवादित आराजी में प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादी ने एक राजस्व वाद वउनवान प्रकाश बनाम अशोक अदालत श्रीमान में पेश किया हुआ है जिसमें खसरा नम्बर 16 सहवन से लिखने से रह गया। मुकदमा में वादी एंव प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है जिस वंटवारा में खसरा नम्बर 16 रकवा 0.21 हे. का 1/3 हिस्सा सालिम वादी के हक हिस्सा व कब्जे में आया है। जिस पर वादी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी विवादित आराजी का 1/12 हिस्से का रेकार्डड खातेदार काश्तकार है तथा 1/4 हिस्सा वंटवारा में अशोक से प्राप्त हुआ है। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे विवादित आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज रहने से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। अतः वादी विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

ारी में घोषित कराने का अधिकारी है। जिस हेतु दावा पेश किया जा रहा है अतः
वादी मुताविक अनुतोष डिकी कर दिया जावे।

प्रतिवादी ने हाजिर अदालत होकर अपना ईकवाल जवाव पेश कर दावा के तथ्यों
स्वीकार किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073
की है जो शामिल पत्रावली है।

राजस्व वाद तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी वउनवान प्रकाश बनाम अशोक
रा में खसरा नम्बर 16 सहवन से लिखने से रह जाने पर राजस्व वाद घोंषणात्मक वो
मइन्तनाई दवामी इन्हीं पक्षकारान के मध्य पेश हुआ है। दोनों दावों में समान पक्षकार
पैत्रिक आराजी का विवाद होने व प्रकरण लोक अदालत में पक्षकारान राजीनामा के
हत निस्तारण कराने को सहमत है। अतः दोनों दावों को एक साथ एकीकरण किया
ाकर दोनों दावों का निस्तारण एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 01.06.2018 को वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 अशोक ने राजीनामा/बंटवारा
नामा मय नक्शा कुरे बनाकर पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत
राजस्व रेकार्ड व राजीनामा/वंटवारानामा, ईकवाल जवाव का अवलोकन किया। विद्वान
अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। पक्षकारान मुताविक
राजीनामा/वंटवारानामा दावा डिकी किये जाने को सहमत है। अतः दावा वादी सावित
होने से डिकी योग्य पाये जाते है।

आदेश

अतः दावा वादी डिकी किये जाकर आराजी खसरा वादी प्रकाश को आराजी
खसरा नम्बर 437 रकवा 0.33, 438 रकवा 0.20 हे. 445 रकवा 0.46 हे. वाके ग्राम अर्रूवा
तथा तथा आराजी खसरा नम्बर 17 रकवा 0.34 हे. 57 रकवा 0.47 हे. 58 रकवा 0.16
हे. वाके ग्राम नगलासीताराम तहसील कठूमर में प्रतिवादी अशोक के 3/4 हिस्से में से
1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 16 रकवा
0.21 हे. वाके ग्राम नगला सीताराम के 1/4 हिस्से का वादी प्रकाश को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के हिस्से तक प्रतिवादी का नाम राजस्व
रेकार्ड से कलमजन किया जाता है। मुताविक वंटवारा/राजीनामा खसरा नम्बर 438

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

0.20 हे. 437 रकबा 0.30 हे. किता 2 रकबा 0.50 हे. वाके ग्राम अरूंवा प्रतिवादी
क को व खसरा नम्बर 445 रकबा 0.46 हे. 437 मिन तर्फ उत्तर रकबा 0.03 हे.
। 2 रकबा 0.49 हे. वाके ग्राम अरूंवा वादी प्रकाश को तकसीम में दिये जाते है।
रा नम्बर 16 रकबा 0.21 हे. हिस्सा 1/3 व खसरा नम्बर 58 रकबा 0.16 हे. 57
वा 0.30 हे. किता 2 रकबा 0.46 हे. वाके ग्राम नगलासीताराम वादी प्रकाश को तथा
सरा नम्बर 17 रकबा 0.34 हे. 57 मिन तर्फ पश्चिम रकबा 0.17 हे. किता 2 रकबा 0.51
वाके ग्राम नगलासीताराम प्रतिवादी अशोक को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार
ठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये
जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम
होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 01.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

ार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/102/2013

वउनवान

प्रकाशचन्द पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी

नगलासीताराम तहसील कठूमर

——— डिकीदार

बनाम

अशोक कुमार पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण

कमलेश पुत्री प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण

पार्वती पत्नी प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण

तहसील कठूमर जिला अलवर

4. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

5. सोन्या पुत्र नामालुम जाति मीना निवासी नूनियां

——— मदयूनान

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

राजस्व वाद संख्या 1/68/18

वउनवान

1. प्रकाश पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी नगलासीताराम

—— डिकीदार

बनाम

1. अशोक पुत्र प्यारेलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी नगलासीताराम

—— मदयूनान

दावा घोषणात्मक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा वादी डिकी किये जाकर आराजी खसरा वादी प्रकाश को आराजी खसरा
437 रकवा 0.33, 438 रकवा 0.20 हे. 445 रकवा 0.46 हे. वाके ग्राम अर्रूवा तथा
आराजी खसरा नम्बर 17 रकवा 0.34 हे. 57 रकवा 0.47 हे. 58 रकवा 0.16 हे. वाके
नगलासीताराम तहसील कटूमर में प्रतिवादी अशोक के 3/4 हिस्से में से 1/4
से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 16 रकवा 0.21
वाके ग्राम नगला सीताराम के 1/4 हिस्से का वादी प्रकाश को खातेदार काश्तकार
षित किया जाता है तथा वादी के हिस्से तक प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकार्ड से
लमजन किया जाता है। मुताविक बंटवारा/राजीनामा खसरा नम्बर 438 रकवा 0.20 हे.
37 रकवा 0.30 हे. किता 2 रकवा 0.50 हे. वाके ग्राम अर्रूवा प्रतिवादी अशोक को व
खसरा नम्बर 445 रकवा 0.46 हे. 437 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.03 हे. किता 2 रकवा 0.
हे. वाके ग्राम अर्रूवा वादी प्रकाश को तकसीम में दिये जाते है। खसरा नम्बर 16
रकवा 0.21 हे. हिस्सा 1/3 व खसरा नम्बर 58 रकवा 0.16 हे. 57 रकवा 0.30 हे. किता
2 रकवा 0.46 हे. वाके ग्राम नगलासीताराम वादी प्रकाश को तथा खसरा नम्बर 17 रकवा
0.34 हे. 57 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.17 हे. किता 2 रकवा 0.51 हे. वाके ग्राम
नगलासीताराम प्रतिवादी अशोक को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कटूमर को
उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 01.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे
हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कटूमर

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)